न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 129/2024

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. टीपूदेवी पत्नी मदाराम जाति मेघवाल, निवासी बाखासर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. उगम पत्नी अम्रतराम 2. केकू पत्नी नागजीराम 3. केकू पत्नी फोजाराम 4. कला पुत्र सादुला 5. गीतादेवी पत्नी मुलाराम 6. चूनीदेवी पत्नी विशनाराम 7. दयाराम पुत्र केशा 8. दाना पुत्र वीरा 9. नरसीराम पुत्र दानाराम 10. नागजी पुत्र वीरा 11. प्रकाशकुमार पुत्र फौजाराम 12. प्रेमाराम पुत्र दरजाराम 13. प्रवीणकुमार पुत्र मदाराम 14. फगलुराम पुत्र दरजाराम 15. फोजाराम पुत्र वीरा 16. बाबुलाल पुत्र दरजाराम 17. रतनाराम पुत्र दरजाराम 18. वेरसी पुत्र दरजाराम 19. संगीता देवी पत्नी चुन्नीलाल 20. सुरेशकुमार पुत्र मदाराम जाति मेघवाल, निवासी बाखासर 21. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा

उपस्थित :प्रार्थीगण वकील – श्री करनाराम कड़वासरा

विप्रार्थीगण के वकील – श्री मेहराराम सारण

दिनांक 14.07.2025

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण टीपूदेवी पत्नी मदाराम जाति मेघवाल, निवासी बाखासर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे सार इस प्रकार है सरहद मौजा बाखासर, पटवार क्षेत्र बाखासर, भू–अभिलेख क्षेत्र बाखासर, तहसील सेड़वा में प्रार्थीया के खातेदारी कब्जाकाश्त का खेत खसरा संख्या 85 रकबा 29.9791 हैक्टेयर, खसरा संख्या 91 रकबा 12.3915 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त आराजी में प्रार्थीया का नाम टीपूदेवी दर्ज करना था, जो रैकर्ड तज्वीज करते वक्त हल्का पटवारी व राजस्व एजेन्सी ने लिपिकीय भूल, घरेलू बोल–चाल की भाषा में प्रार्थीया का नाम टीपूदेवी की जगह टेपूदेवी दर्ज कर दिया, जो लिपिकीय भूल से गलत दर्ज कर दिया है, प्रार्थीया का वास्तविक नाम टीपूदेवी है, तथा जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैक डायरी इत्यादि से साबित है। लेकिन राजस्व रैकर्ड में लिपिकीय भूल से गलत नाम लिख देने से मैं प्रार्थीया उक्त लिपिकीय भूल को दुरूस्त करवानें [illegible] है। प्रार्थीया टीपूदेवी की जगह टेपूदेवी लिख देने से प्रार्थीया को हर जगह तरह–तरह [illegible] उलझने पैदा होती [illegible]ससे प्रार्थीया के केसीसी कार्ड लेने, बैक से ऋण लेनें, गिरदावरी लगान इत्यादि में हर जगह उक्त लिपिकीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

त्रुटि से दुविधा पैदा होती है। जिससे मैं प्रार्थीया रैकर्ड दुरूस्ती करवानें का हकदार होने से प्रार्थना पत्र पेश हैं। उक्त रैकर्ड दुरूस्ती करने से खातें में किसी प्रकार का किसी खातेदार का कोई हक प्रभावित नहीं होता है तथा नहीं राज्य सरकार के हितों पर कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसी सुरत में उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करना न्याय संगत है। प्रार्थीया के अन्य तमाम दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम टीपूदेवी है। उक्त लिपिकीय भूल की हमे कतई जानकारी नहीं रही तथा न ही हमने कभी रैकर्ड का पठन करवाया। अभी केसीसी करवाने गये व जमाबंदी की नकलें इत्यादि ली तो ज्ञात हुआ कि हमारे खाते में उक्तानुसार लिपिकीय त्रुटि रह गई है। जिससे मै उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवानें का हकदार होनें से एवं उक्तानुसार दुरूस्ती किये जानें योग्य होने से प्रार्थना पत्र पेश है। सरहद मौजा बाखासर, पटवार क्षेत्र बाखासर तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 85 रकबा 29.9791 हैक्टेयर, खसरा संख्या 91 रकबा 12.3915 हैक्टेयर आराजी में टीपूदेवी दुरूस्त करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये जाते है। विप्रार्थीगण की और अधिवक्ता श्री मेहराराम सारण वकालतनाम पेश किया जिससे शामिल पत्रावली किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर/2024/ दिनांक द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/610 दिनांक 10.07.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **"ग्राम बाखासर के खसरा संख्या 85, 91 का नामान्तरण संख्या 1854 दिनांक 30.10.2023 पटवारी द्वारा भरते समय नामान्तरकरण में टेपूदेवी पत्नी मदाराम दर्ज कर दिया गया। ग्राम के मुखिया मौतबरानों से मजमें आप पूछताछ करने पर बताया कि प्रार्थीनी का सही नाम टीपूदेवी पत्नी मदाराम है। प्रार्थीनी का विरासत का नामान्तरकरण में टेपूदेवी गलत नाम दर्ज हो गया है। अतः ग्राम के मुखिया मौतबरानों से मजमें आम पूछताछ से एवं प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों जनआधार, आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान व खसरा संख्या 91 रकबा 12.3915 हैक्टेयर में दर्ज टेपूदेवी पत्नी मदाराम के स्थान पर टीपू देवी पत्नी मदाराम नाम सही किया जाना उचित है। उक्त मौका फर्द उपस्थित प्रार्थीनी एवं मुखिया [illegible] को पढ़कर सुनाई गई मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अंगूठे अंकित करवाये**

प्रार्थीगण वकील उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:32 IST
Reason: SelfAttested

तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 129/2024 उनवान टीपूदेवी बनाम उगम वगैरा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अनुसार तहसील सेड़वा के पटवार मण्डल बाखासर के ग्राम बाखासर के खसरा संख्या 85 रकबा 29.9791 हैक्टेयर, खसरा संख्या 91 रकबा 12.3915 हैक्टेयर की भूमि टीपूदेवी बनाम उगम वगैरा जाति मेघवाल साकिन बाखासर में नाम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। **तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2025/610 दिनांक 10.07.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 01.07.2025, खसरा नक्शा व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा जिला बाड़मेंर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 610 दिनांक– 10.07.25

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड **अधिकारी** महोदय,

सेडवा, जिला **बाडमेंर**।

विषयः– राजस्व वाद **संख्या 129/2024** अनवान **टीपुदेवी बनाम उगम वगैरह** अन्तर्गत **RLR ACT धारा 136 में नाम** दुरस्ती हेतु **तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने बाबत्**।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है राजस्व वाद संख्या 129/2024 अनवान टीपुदेवी बनाम उगम में मौजा बाखासर के खसरा नं. 85, 91 रकबा क्रमश 29.9791, 12.3915 हैक्टेयर का अन्तर्गत धारा 136 RLR ACT में नाम दुरस्ती हेतु आप द्वारा **मौके पर** तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही थी। जिसकी भू.अ. निरीक्षक बाखासर द्वारा दिनांक 01.07.2025 को नाम दुरस्ती की रिपोट तैयार की गयी। जिसकी तथ्यात्मक रिपोट इस पत्रांक के सलंग्न श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

सलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार(भू.अ. सेडवा)

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:32 IST
Reason: SelfAttested

क्र. 4691

आज दिनांक 01-07-2025 को मैं श्रीमान तहसीलदार साहब सेड़वा के आदेश क्रमांक/प्र.म./[illegible]/2024/3212 दिनांक 28-10-2024 की पालनार्थ माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के बाजाब्ता आवेदन सं. 129/2024 मनवान टिपूदेवी बनाम, उगम वगैरा मुताबिक RLR Act की धारा 136 में नाम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने हेतु मय हंसराज पटवारी बाखासर के साथ मौके पर पहुंचा।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों एवं ऑनलाइन राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया कि ग्राम बाखासर के खसरा नं० 85 रकबा 29-9791 है०, खसरा नं० 91 रकबा 12-3915 हैक्टेयर में सहखातेदारी में प्रार्थी का नाम टेपूदेवी पत्नी मदाराम जाति मेघवाल 1/5 हिस्सा दर्ज है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम टीपूदेवी पत्नी मदाराम है। लेकिन उसके पति मदाराम का विरासत का ग्राम बाखासर के खसरा नं० 85, 91 का नामान्तरकरण संख्या 1854 दिनांक 30-10-2023 पटवारी द्वारा भरते समय नामान्तरकरण में टेपूदेवी पत्नि मदाराम दर्ज कर दिया गया। ग्राम के मुखिया मौतबिरानों से मालूम करने पर बताया कि प्रार्थीनी का सही नाम टीपूदेवी पत्नी मदाराम है। प्रार्थीनी का विरासत का नामान्तरकरण में टेपूदेवी गलत नाम दर्ज हो गया है।

अतः ग्राम के मुखिया मौतबिरान से मजके आम पूछताछ से एवं प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों जनआधार, आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र इत्यादि के आधार पर ग्राम बाखासर के खसरा नं० 85 रकबा 29-9791 है० व खसरा नं० 91 रकबा 12-3915 है० में दर्ज टेपूदेवी पत्नि मदाराम के स्थान पर टीपूदेवी पत्नि मदाराम नाम सही किया उचित है।

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित प्रार्थीनी एवं मुखिया मौतबिरान को पढ़कर सुनाई गई। सभी ने पढ़कर, सुन समझकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

तहसीलदार (मु.अ.) सेड़वा

01-07-2025
ILR-बाखासर

पटवारी बाखासर

LT मदाराम

टीपूदेवी

ईश्वर लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:32 IST
Reason: SelfAttested